12.03.2021

प्रार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करते समय कुछ प्रारूपिक त्रुटि रह गई है जिस कारण उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र विफल होने की संभावना है। जिस कारण प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष से वंचित रहना पडेगा एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण को उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र प्रत्याहृत कर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी. सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को नवीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त. अधि. पेश करने की अनुमति प्रदान कर हस्तगत प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)